भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(148)

(99)

समक्ष माननीयराजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र ——————/

R. 3343-PBR/14

अरविन्द्र सिंह आयु वयस्क आत्मज श्री प्रहलाद सिंह
जाति यादव निवासी एवं कृषक ग्राम परसोरिया
जागीर तहसील बेरसिया जिला भोपाल। —— निगरानीकर्ता,

विरुद्ध

दिनेश कुमार आयु वयस्क आ/ बद्रीप्रसाद
जाति बढ़ई निवासी ग्राम अरावती कृषक
ग्राम परसोरिया जागीर तहसील बेरसिया
जिला भोपाल। ——— अनावेदक

श्री आर० एन० मालवीय अधिवक्ता द्वारा आज प्र० 18/9/14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 - राजस्व संहिता

निगरानी कर्ता की और से माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेरसिया द्वारा अपील प्रकरण क्र 25 अपील -13-14 में अरविन्द्र सिंह बनाम दिनेश कुमार के प्रकरण में धारा 5 अवधिविधान के आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 12-8-14 से परिवेदित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारो परयह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

1) यह कि माननीयअधिनस्थ न्यायालय के द्वारापारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत पारित होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा निरस्त किया जावेगा

2) यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया गया है इसकारण से भी निरस्त होने योग्य है।

3) यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3343-पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	